

संपादकीय

सियासत के परिसर

शिक्षण संस्थानों को राजनीतिक दखलांडाजी से दूर रखने के मकसद से विश्वविद्यालयों को स्वायत्ता दी गई थी। उनमें होने वाली नियुक्तियों, शोध-अनुसंधानों आदि को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियम-कायदे तय जरूर करता है, मगर शैक्षणिक गतिविधियों और अनुशासनात्मक मामलों में निर्णय लेने को विश्वविद्यालय स्वतंत्र है। मगर विचित्र है कि अब विश्वविद्यालयों में राजनीति इस कदर पैठ बना चुकी है कि तमाम नियुक्तियों से लेकर प्रायक्रमों आदि के नियरांग और पठन-पाठन संबंधी गतिविधियों तक में सत्ताधारी दलों की इच्छा काम करने लगी है। यह आज की बात नहीं है। वर्षों से विकसित होते-होते आज यह परिपाटा इस स्थिति में पहुंच गई है। यही बजह है कि अब विश्वविद्यालयों के कुलपतियों आदि की नियुक्ति को लेकर कई राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तल्खी उभर आती है। चूंकि राज्यों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति वर्षों के राज्यपाल होते हैं, और उन्हें नियुक्तियों आदि में हस्तक्षेप का अधिकार है, इसलिए कई बार देखा जाता है कि जिन लोगों नाम चयन समिति सुझाती है और उनमें से जिस व्यक्ति को राज्य सरकार अनुमति दिकरती है, उसे राज्यपाल अस्वीकृत कर देते हैं। चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, इसलिए पिछले काफी समय से राज्यपाल केंद्र की पंथ के अनुरूप ही काम करते देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जब-तब उभर आता टकराव इसी का नजीबी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसी टकराव को दूर करने के मकसद से अब ऐसा कानून बनाने का कदम उठाया है, जिसके तहत राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति मुख्यमंत्री होगा। इस कदम के पीछे इरादा साफ है कि विश्वविद्यालयों में राज्यपाल का हस्तक्षेप बंद हो। अब कुलपति की नियुक्ति और शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े फैसले करने का राज्य सरकार स्वतंत्र होगा। दरअसल, विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति इसलिए सरकारों के लिए अहम होती है कि वे उसके जरिए बौद्धिक जमात को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है। इस तरह वे परिसरों में अपने विद्यार्थी संगठनों की भी सक्रिय करने में अधिक सफल हो पाती हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल चूंकि सरकार के काम में कुछ अधिक ही हस्तक्षेप करते देखे जाते हैं, इसलिए ममता बनर्जी के लिए विश्वविद्यालयों को अपनी मुट्ठी में करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। हालांकि राज्यपाल की कुलाधिपति जरूर बनाया गया, पर इससे पहले शायद ही कोई देखा गया कि वे राज्य सरकार के काम करते रहे हों। यह एक तरह से शोभा का पद ही अधिक रहा है। मगर जबसे राजनीतिक गुणा-भाग करके राज्यपालों की नियुक्ति की जाने लगी है और केंद्र सरकार उनसे अपेक्षा करने लगा है तो केंद्र की मंशा के अनुरूप काम कर और राज्य सरकारों पर अब रखें, तबसे विश्वविद्यालयों की गतिविधियों पर भी अंकुश लाने की कोशिश देखी जानी लगी है। जिन अंकुशों में केंद्र से अलग दल की कामकारी है, वहाँ इसे लेकर असर टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। यह अकेले पश्चिम बंगाल की समस्या नहीं है। कुछ महीने पहले तमिलनाडु ने भी कानून पारित कर राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने का रास्ता साफ कर दिया। राजस्थान सरकार भी ऐसा कानून लाने जा रही है। भले गज्य सरकार इस कदम को परिसरों की स्वायत्ता सुरक्षित रखने का प्रयास बता रही है, पर यह तो साफ हो गया कि वह अब कहाँ नहीं चाची है। शैक्षणिक परिसर अब राजनीति के अखाड़ों में तब्दील हो चुके हैं।

है यही संदेश !



संविधान से आया चलता ।

अब तक अपना देश ॥

आगे भी चलेगा ।

है यही संदेश ॥

नियम और कानून ।

है अपना आधार ॥

होगा करना पालन ।

हो ऐसा व्यवहार ॥

स्थिति संदेह वाली ।

ले जाती रसातल ॥

चलें समय के साथ ।

है इसी में हल ॥

ना रहना है भ्रम में ।

बांध लें ये गांठ ॥

करना है सहयोग ।

है इसी में ठाट ॥

—कृष्णन्द्र राय

अमेरिका की बंदूक संस्कृति

अभियंक क्रुमार सिंह

दुनिया का सबसे ताकतवर और विकसित राष्ट्र होने का दावा करने वाला अमेरिका इन दिनों घेरू हिंसा से जु़रू रहा है। वैसे तो इस मुख्य में स्थानीय दिंगों और स्कूलों व धार्मिक स्थलों से लेकर सर्वजनिक जगहों पर गोलीबारी की घटनाएं अम हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में इनके जिस तेजी से इचाफा होता जा रहा है, उनमें अमेरिकी प्रशासन और समाज के लिए विश्वविद्यालयों में राजनीति इस कदर पैठ बना चुकी है कि तमाम नियुक्तियों से लेकर प्रायक्रमों आदि के नियरांग और पठन-पाठन संबंधी गतिविधियों तक में सत्ताधारी दलों की इच्छा काम करने लगी है। यह आज की बात नहीं है। वर्षों से विकसित होते-होते आज यह परिपाटा इस स्थिति में पहुंच गई है। यही बजह है कि अब विश्वविद्यालयों के कुलपतियों आदि की नियुक्ति को लेकर कई राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तल्खी उभर आती है। चूंकि राज्यों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति वर्षों के राज्यपाल होते हैं, और उन्हें नियुक्तियों आदि में हस्तक्षेप का अधिकार है, इसलिए कई बार देखा जाता है कि जिस लोगों नाम चयन समिति सुझाती है और उनमें से जिस व्यक्ति को राज्य सरकार अनुमति दिकरती है, उसे राज्यपाल अस्वीकृत करती है, उसलिए पिछले काफी समय से राज्यपाल केंद्र की पंथ के अनुरूप ही काम करते देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जब-तब उभर आता टकराव इसी का नजीबी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसी टकराव को दूर करने के मकसद से अब ऐसा कानून बनाने का कदम उठाया है, जिसके तहत राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति मुख्यमंत्री होगा। इस कदम के पीछे इरादा साफ है कि विश्वविद्यालयों पर अब राज्यपाल का हस्तक्षेप बंद हो। अब कुलपति की नियुक्ति और शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े फैसले करने का राज्य सरकार स्वतंत्र होगा। दरअसल, विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति इसलिए सरकारों के लिए अहम होती है कि वे उसके जरिए बौद्धिक जमात को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है। इस तरह वे परिसरों में अपने विद्यार्थी संगठनों की भी सक्रिय करने में अधिक सफल हो पाती हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के काम को कम करने के लिए विश्वविद्यालयों को अपनी मुट्ठी में करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। हालांकि राज्यपाल की कुलाधिपति जरूर बनाया गया, पर इससे पहले शायद ही कोई देखा गया कि वे राज्य सरकार के काम करते रहे हों। यह एक तरह से शोभा का पद ही अधिक रहा है। मगर जबसे राजनीतिक गुणा-भाग करके राज्यपालों की नियुक्ति की जाने लगी है और केंद्र सरकार उनसे अपेक्षा करने लगा है तो केंद्र की मंशा के अनुरूप काम कर और राज्य सरकारों पर अब रखें, तबसे विश्वविद्यालयों की गतिविधियों पर भी अंकुश लाने की कोशिश देखी जानी लगी है। जिन अंकुशों में केंद्र से अलग दल की कामकारी है, वहाँ इसे लेकर असर टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। यह अकेले पश्चिम बंगाल की समस्या नहीं है। कुछ महीने पहले तमिलनाडु ने भी कानून पारित कर राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने का रास्ता साफ कर दिया। राजस्थान सरकार भी ऐसा कानून लाने जा रही है। भले गज्य सरकार इस कदम को परिसरों की स्वायत्ता सुरक्षित रखने का प्रयास बता रही है, पर यह तो साफ हो गया कि वह अब कहाँ नहीं चाची है। शैक्षणिक परिसर अब राजनीति के अखाड़ों में तब्दील हो चुके हैं।

समाज में पैदा हो रही समस्याओं के मद्देनजर ही लिंडन बेस को वह कहने के लिए विश्वविद्यालयों से जु़रू रहा है। वैसे तो इस मुख्य में स्थानीय दिंगों और स्कूलों व धार्मिक स्थलों से लेकर सर्वजनिक जगहों पर गोलीबारी की घटनाएं अम हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में इनके जिस तेजी से इचाफा होता जा रहा है, उनमें अमेरिकी प्रशासन और समाज के लिए विश्वविद्यालयों में राजनीति इस कदर पैठ बना चुकी है कि तमाम नियुक्तियों से लेकर प्रायक्रमों आदि के नियरांग और पठन-पाठन संबंधी गतिविधियों तक में सत्ताधारी दलों की इच्छा काम करने लगी है। यह आज की बात नहीं है। वर्षों से विकसित होते-होते आज यह परिपाटा इस स्थिति में पहुंच गई है। यही बजह है कि अब विश्वविद्यालयों के कुलपतियों आदि की नियुक्ति को लेकर कई राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तल्खी उभर आती है। चूंकि राज्यों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति वर्षों के राज्यपाल होते हैं, और उन्हें नियुक्तियों आदि में हस्तक्षेप का अधिकार है, इसलिए कई बार देखा जाता है कि जिस लोगों नाम चयन करने वाले जो राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तल्खी उभरती है, उसे राज्यपाल अस्वीकृत करती है, उसलिए पिछले काफी समय से राज्यपाल के काम करने वाले जो राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तल्खी उभरती है, उसे राज्यपाल अस्वीकृत करती है, उसलिए पिछले काफी समय से राज्यपाल के काम करने वाले जो राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तल्खी उभरती है, उसे राज्यपाल अस्वीकृत करती है, उसलिए पिछले काफी समय से राज्यपाल के काम करने वाले जो राज

